

प्रखंड कार्यालय, उधवा

दिनांक	राजकीय वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत अभिलेख संख्या...../2022-23	अभियु०
	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	<p style="text-align: center;">आवेदक / आवेदिका.....</p> <p>पिता / पति.....ग्राम.....</p> <p>पो०पंचायत.....</p> <p>प्रखंड –उधवा जिला साहेबगंज ने वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आवेदन दिया है। आवेदन कि जाँच प० सचिव / प्रखंड पंचायती राज पदा० उधवा ने प्रतिवेदित किया है कि –</p> <p style="text-align: center;">आवेदक / आवेदिका.....</p> <p>पिता / पति.....ग्राम.....</p> <p>पो०पंचायत.....</p> <p>जिला साहेबगंज का निवासी है एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ावर्ग / सामान्य जाति के हैं। इसका उम्र.....वर्ष है तथा वार्षिक आय.....</p> <p>रूपया हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे है। इनका बी०पी० एल० संख्या.....</p> <p>वर्ष.....है। अनुशंसा की गयी है।</p> <p style="text-align: center;">अतः प० सचिव / प्रखंड पंचायती राज पदा० उधवा के आलोक में आवेदक / आवेदिका.....पिता / पति.....</p> <p>पंचायत.....को स्वीकृति दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय /राजकीय वृद्धावस्था /विधवा /विकलांगपेंशन की स्वीकृति लेखा संख्या...../2022-23 द्वारा की जाती है। पेंशन का भुगतान दिनांक.....से देय होगा।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवम् संशोधित</p> <p style="text-align: center;">प्रखंड विकास पदाधिकारी, उधवा।</p> <p style="text-align: right;">प्रखंड विकास पदाधिकारी, उधवा।</p>	

निःशुल्क

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था/राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम -/स्त्री एवं पुरुष
2. पिता/पति का नाम -
3. पता - मकान सं० -ग्राम/मुहल्ला-.....
पंचायत/वार्ड -
प्रखण्ड/अंचल (शहर) -जिला-साहेबगंज
4. आधार संख्या -
5. बैंक खाता संख्या -
6. बैंक का नाम -7. IFSC CODE -
8. राशन कार्ड संख्या/बी०पी०एल० -
9. कोटि - सामान्य/अनु० जाति/अ०ज०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग -
10. आयु -
11. आवेदक का पहचान चिन्ह -
12. लामुक का मोबाईल नम्बर-
13. क्या आवेदिका विधवा है? (हाँ/नहीं) -



14. संलग्न प्रमाण पत्र :-

- अन्वेषण अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/पूर्ववित्त प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-O॥ राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) "अथवा"

झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

- आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- विधवा रहने पर आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति। (आवेदिका की आयु न्यूनतम 18 वर्ष)
- विधवा रहने पर पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- बैंक खाता का पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- संकल्प के कडिका 2.6 में वर्णित 14 बहिष्कार मानदंड का घोषणा पत्र।

तिथि -

आवेदक/आवेदिका का ह०/अंगूठा का निशान

सत्यापन प्रतिवेदन

- (i) आवेदक/आवेदिका वृद्ध/वृद्धा/विधवा हैं इनकी इनकी उम्र.....वर्ष है।
आवेदक द्वारा दिये गये दस्तावेज की जाँच की गई और जाँच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदक के पास संकल्प के कडिका 2.6 में वर्णित 14 बहिष्कार मानदण्डों में से कोई नहीं है। अतः मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ। (अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। (.....))
- (ii) विभाग द्वारा संचालित किसी भी अन्य पेंशन अन्य योजना से आच्छादित न हो, को इस योजना का लाभ देय होगा।

वार्ड पार्षद/मुखिया

पंचायत सेवक/राजस्व कर्मचारी

प्रखण्ड पंचायतराज पदाधिकारी/अंचल निरीक्षक

आवेदक/आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त उन्हे मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था/विधवा सम्मान पेंशन योजना की स्वीकृति दी जाती है।
आवेदक/आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृति किया जाता है।

स्वीकृत संख्या एवं तिथि :-

स्वीकृति /अस्वीकृति

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी

घोषणा पत्र

राष्ट्रीय परिवार हित लाभ / इंदिरा गांधी कृषावस्था / इंदिरा गांधी विधवा / इंदिरा गांधी विकलांग / मुख्यमंत्री राज्य कृषावस्था / मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान / मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS योजना अन्तर्गत निम्न विन्दुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा आगे दत्त पत्र।

घोषणा का नाम—.....

- (i) मोटर चालित दोपहिया / तिपहिया / चार पहियों वाले वाहन / गहली पकड़ने वाली नाव धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (ii) भूमी न चालित तीन / चार पहियों वाले कृषि उपकरण धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (iii) 50 हजार या उस से अधिक भूमाप सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (iv) सरकारी सेवक वाले किसी परिवार के सदस्य। (हाँ / नहीं)
- (v) सरकार के पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार। (हाँ / नहीं)
- (vi) परिवार का कोई भी सदस्य 10000 रुपया एवं उससे अधिक कमाता है। (हाँ / नहीं)
- (vii) आग्रकर अदा करने वाले परिवार। (हाँ / नहीं)
- (viii) सेवा कर अदा करने वाले परिवार। (हाँ / नहीं)
- (ix) सभी कमरों की पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे धारक परिवार (PMAY/IAY के लागू पर लागू नहीं) (हाँ / नहीं)
- (x) रेफ्रीजरेटर धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (xi) लैंडलाइन फोन धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (xii) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ एवं उस से अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (xiii) दो या उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ एवं उस से अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार। (हाँ / नहीं)
- (xiv) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ एवं उस से अधिक भूमि धारक परिवार। (हाँ / नहीं)

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त मेरे द्वारा दिये गये सभी जानकारी सत्य है। यदि उपरोक्त मेरे द्वारा जानकारियाँ गलत पायी जाती है तो मैं स्वयं दण्ड का भागी होऊँगा / होऊँगी।

जाँचकर्ता का तिथियुक्त हस्ताक्षर

आगे दत्त का हस्ताक्षर / टीप निशान

*ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सेवक / शहरी क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी।

राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत योजना

फॉर्म - 5

नियम - 13

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
उधवा।

सेवा में,

महालेखागार, झारखण्ड, राँची।
पो-

विषय:-

इंदिरा गांधी राज्य समाजिक सुरक्षा नियमावली के नियम 13 अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति

महाशय,

मुझे सूचित करना है कि झारखण्ड राज्य समाजिक पेंशन नियमावली, 1980 के नियम 13 एवं सा निदेशालय के पत्रांक 03 दिनांक 16.09.2019 संशोधन नियमावली के अन्तर्गत निम्नांकित व्यक्ति को कुल 1000/- (एक हजार) प्रतिमाह की स्वीकृति दिनांक/..... से दान की जाती है जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

नाम- श्री/श्रीमती बीपीएल नं०.....

पिता/पति का नाम

ग्राम/मुहल्ला/नगर

पंचायत:-

डाकघर:-

जिला:-

लेखा संख्या:-

दिनांक:-

ज्ञापांक संख्या

विश्वासभाजन

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
उधवा।

दिनांक

प्रतिलिपि:- आयुक्त झारखण्ड राँची/उपायुक्त साहेबगंज।

प्रखण्ड विकास पदा०..... पेंशनधारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
उधवा, जिला- साहेबगंज।